पत्रांक –3/एम०–19/2021सा0प्र0 12342/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 20-10-2021

विषय– कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करने/उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान किये जाने के उपरान्त संबंधित सरकारी सेवकों की लम्बित वेतनवृद्धियों की स्वीकृति के फलस्वरूप बकाये अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये जाने अथवा उक्त जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त लम्बित वेतनवृद्धियों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप बकाये अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में अक्सर विभिन्न प्रशासी विभागों से परामर्श/मंतव्य की अपेक्षा की जाती रही है। वर्णित स्थिति में उक्त रेफरेन्स के संदर्भ में परिपत्र के द्वारा स्पष्ट दिशा–निदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है। उक्त परिपत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त वर्णित बिन्दु के संबंध में प्रशासी विभागों द्वारा सुगमता से निर्णय लिया जा सकेगा।

2. विचाराधीन मामले के संबंध में उल्लेखनीय है कि–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1609 दिनांक–24.05.2011 द्वारा "बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011" अधिसूचित की गयी है। नियमावली के प्रावधान

के आलोक में सचिवालय सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदों पर कार्यरत कर्मी तथा समूह–'ग' के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान किया गया हो, को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया जाना है। उक्त नियमावली के नियम–5 में प्रावधान किया गया है कि *राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।*

(ii) राज्य सरकार के विभिन्न सेवा/सम्वर्ग से संबंधित नियमावलियों में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा से संबंधित उपर्युक्त उप–कंडिका–(i) में उल्लिखित प्रावधान प्रभावी है।

(iii) राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 2931 दिनांक–01.12.2017 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सेवा/संवर्ग के कर्मियों के लिए विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त अधिसूचना का कंडिका–14 निम्नवत् है–

"जिन अराजपत्रित कर्मियों को विभागीय परीक्षा में कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान (कोड–02) विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1609 दिनांक 24.05.2011 के प्रावधान के तहत कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–3127 दिनांक–06.03.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018 अधिसूचित है। उक्त नियमावली के प्रावधान के आलोक में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा सहित अन्य विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्णता से विमुक्ति प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों तथा पर्यवेक्षकीय सम्वर्गों के कर्मियों के अलावा वैसे सेवा/सम्वर्ग के कर्मियों, जिनकी सेवा/सम्वर्ग नियमावली में वेतनवृद्धि प्राप्त किये जाने हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता है, को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने अथवा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्त किये जाने के उपरान्त लम्बित वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती है।

4. कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा का प्रावधान किये जाने का उद्देश्य दंडात्मक नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सरकारी कर्मियों के बीच कम्प्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने का है।

5. वर्णित स्थिति में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने अथवा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्त किये जाने के उपरान्त संबंधित सरकारी सेवकों के लम्बित वेतनवृद्धियों की स्वीकृति वास्तविक लाभ (बकाया अन्तर राशि सहित) के साथ देय होगी।

विश्वासभाजन,

20/X/21

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।